

बिहार सरकार

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अर्जन निदेशालय

पटना, बिहार

अधिसूचना

पत्रांक.....1058/210

दिनांक.....09-04-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- कोठेयाँ, थाना- जलालपुर, थाना नं०- 242, परगना- बाल, जिला-सारण, छपरा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् भारत तीब्बत सुरक्षा बल कैंप के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि भारत सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- कोठेयाँ के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 71.71 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं० निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं० :- 1841 पूर्ण, 1842 पूर्ण, 1843 पूर्ण, 1844 अंश, 1904 पूर्ण, 1905 पूर्ण, 1906 पूर्ण, 1907 पूर्ण, 1908 पूर्ण, 1909 पूर्ण, 1910 पूर्ण, 1911 पूर्ण, 1912 पूर्ण, 1913 पूर्ण, 1914 पूर्ण, 1915 पूर्ण, 1916 पूर्ण, 1917 पूर्ण, 1918 पूर्ण, 1919 पूर्ण, 1920 पूर्ण, 1921 पूर्ण, 1922 पूर्ण, 1945 अंश, 1947 पूर्ण, 1956 पूर्ण, 1957 पूर्ण, 1958 पूर्ण, 1959 पूर्ण, 1960 पूर्ण, 1961 पूर्ण, 1962 पूर्ण, 1963 पूर्ण, 1964 पूर्ण, 1965 पूर्ण, 1966 पूर्ण, 1967 पूर्ण, 1968 पूर्ण, 1969 पूर्ण, 1970 पूर्ण, 1971 पूर्ण, 1972 पूर्ण, 1973 अंश, 1977 पूर्ण, 1978 पूर्ण, 1979 पूर्ण, 1980 पूर्ण, 1981 पूर्ण, 1982 पूर्ण, 1983 पूर्ण, 1984 पूर्ण, 1985 पूर्ण, 1986 पूर्ण, 1987 पूर्ण, 1988 पूर्ण, 1989 पूर्ण, 1990 पूर्ण, 1991 पूर्ण, 1992 पूर्ण, 1993 पूर्ण, 1994 पूर्ण, 1995 पूर्ण, 1996 पूर्ण, 1997 पूर्ण, 1998 पूर्ण, 1999 पूर्ण, 2000 पूर्ण, 2001 पूर्ण, 2002 पूर्ण, 2003 पूर्ण, 2004 पूर्ण, 2005 पूर्ण, 2006 पूर्ण, 2007 पूर्ण, 2008 पूर्ण, 2009 पूर्ण, 2010 पूर्ण, 2011 पूर्ण, 2012 पूर्ण, 2013 पूर्ण, 2014 पूर्ण, 2015 पूर्ण, 2016 पूर्ण, 2017 पूर्ण, 2018 पूर्ण, 2019 पूर्ण, 2020 पूर्ण, 2021 पूर्ण, 2022 पूर्ण, 2023 पूर्ण, 2024 पूर्ण, 2025 पूर्ण, 2026 पूर्ण, 2028 पूर्ण, 2029 पूर्ण, 2030 पूर्ण, 2031 पूर्ण, 2032 पूर्ण, 2033 पूर्ण, 2034 पूर्ण, 2035 पूर्ण, 2036 पूर्ण, 2037 पूर्ण, 2038 पूर्ण, 2039 पूर्ण, 2040 पूर्ण, 2041 पूर्ण, 2042 पूर्ण, 2044 पूर्ण, 2045 पूर्ण, 2046 पूर्ण, 2047 पूर्ण, 2048 पूर्ण, 2049 पूर्ण, 2050 पूर्ण, 2051 पूर्ण, 2052 पूर्ण, 2053 पूर्ण, 2054 पूर्ण, 2055 पूर्ण, 2056 पूर्ण, 2057 पूर्ण, 2058 पूर्ण, 2059 पूर्ण, 2060 पूर्ण, 2061 पूर्ण, 2062 पूर्ण, 2063 पूर्ण, 2064 पूर्ण, 2065 पूर्ण, 2066 पूर्ण, 2067 पूर्ण, 2068 पूर्ण, 2069 पूर्ण, 2070 पूर्ण, 2071 पूर्ण, 2072 पूर्ण, 2073 पूर्ण, 2074 पूर्ण, 2075 पूर्ण, 2076 पूर्ण, 2077 पूर्ण, 2078 पूर्ण, 2079 पूर्ण, 2080 पूर्ण, 2081 पूर्ण, 2082 पूर्ण, 2083 पूर्ण, 2084 पूर्ण, 2085 पूर्ण, 2086 पूर्ण, 2087 पूर्ण, 2088 पूर्ण, 2089 पूर्ण, 2090 पूर्ण, 2091 पूर्ण, 2092 पूर्ण, 2093 पूर्ण, 2094 पूर्ण, 2095 पूर्ण, 2096 पूर्ण, 2097 पूर्ण, 2098 पूर्ण, 2099 पूर्ण, 2100 पूर्ण, 2101 पूर्ण, 2102 पूर्ण, 2103 पूर्ण, 2104 पूर्ण, 2105 पूर्ण, 2106 पूर्ण, 2107 पूर्ण, 2108 पूर्ण, 2109 पूर्ण, 2110 पूर्ण, 2111 पूर्ण, 2112 पूर्ण, 2113 पूर्ण, 2114 पूर्ण, 2115 पूर्ण, 2116 पूर्ण, 2117 पूर्ण, 2118 पूर्ण, 2119 पूर्ण, 2120 पूर्ण, 2121 पूर्ण, 2122 पूर्ण, 2123 पूर्ण, 2124 पूर्ण, 2125 पूर्ण, 2126 पूर्ण, 2127

पूर्ण, 2127 पूर्ण, 2128 पूर्ण, 2129 पूर्ण, 2130 पूर्ण, 2131 पूर्ण, 2132 पूर्ण, 2133 पूर्ण, 2134 पूर्ण, 2135 पूर्ण, 2136 पूर्ण, 2137 पूर्ण, 2138 पूर्ण, 2139 पूर्ण, 2141 पूर्ण, 2142 पूर्ण, 2143 पूर्ण, 2144 पूर्ण, 2164 पूर्ण, 2174 पूर्ण, 2175 पूर्ण, 2176 पूर्ण, 2177 पूर्ण, 2178 पूर्ण, 2179 पूर्ण, 2180 पूर्ण, 2181 पूर्ण, 2182 पूर्ण, 2183 पूर्ण, 2184 पूर्ण, 2185 पूर्ण, 2186 पूर्ण, 2187 पूर्ण, 2188 पूर्ण, 2189 पूर्ण, 2190 पूर्ण, 2191 पूर्ण, 2192 पूर्ण, 2193 पूर्ण, 2194 पूर्ण, 2199 अंश, 2237 पूर्ण, 2238 पूर्ण।

### अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - रामपुर नुरनगर सीमा।

दक्षिण - 1974 पूर्ण, 1975 पूर्ण, 1972 अंश, 1973 अंश, 1903 पूर्ण, 1923 पूर्ण, 1945 अंश, 1946 पूर्ण, 1948 पूर्ण, 1949 पूर्ण, 1955 पूर्ण, 1844 अंश, 1840 पूर्ण, 2239 पूर्ण, 2236 पूर्ण, 2234 पूर्ण, 2195 पूर्ण, 2199 अंश।

पूरब - 2201 पूर्ण, 2172 पूर्ण, 2173 पूर्ण, 2145 पूर्ण, 2146 पूर्ण।


पश्चिम - P.W.D. सड़क छपरा से सलेमपुर।


इस अधिसूचना को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इस भूमि से संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुरोधान में तत् समय लगे भारत तिब्बत सुरक्षा बल, भारत सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेंगे।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (A) के उपबंध उक्त जमीन पर लागू नहीं होंगे।


  
समाहर्ता  
सारण

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
सरकार के अवर सचिव  
बिहार, पटना।

ज्ञापक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 सारण (आई0टी0बी0पी0) - 09/2013-1058/रा

दि० - 09-04-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।